

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1271 / 2019 दिनांक : 14.06.2019

श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 13.05.2019 से 15.05.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/12/1993/ 5659

दिनांक : 14.06.2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 54 दिनांक 16.05.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ ।



सहायक रजिस्ट्रार